



No. 14 (62)/NIFT/CHE/ESTT/Complaint. Com/08(4)

23.09.2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub.: Constitution of Internal Complaints Committee (ICC) in respect of the employees of NIFT Chennai under Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.....reg.

Under the provisions of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and in suppression of Office Order of even numbers dated 25.09.2019 & 28.09.2020, Campus Director NIFT Chennai has reconstituted the Internal Complaints Committee (ICC) of NIFT Chennai as under:

1. Prof. Dr. Sunitha Vasam, NIFT Chennai – Presiding Officer
2. Dr. K. Murugajothi, Associate Professor - Member
3. Dr. G. Sai Sangurai, Associate Professor - Member
4. Mr. T. R. Shankara Narayanan, Associate Professor - Member
5. Ms. Pratheepa Raj, Assistant Professor – Member
6. Ms. L.V. Jayashree, Director, SPASTN - Member

2. The tenure of the ICC shall be for a period of three years from the date of issuing this OM.

3. On receipt of a complaint, the ICC shall conduct necessary enquiries in accordance with the Vishakha Guidelines as well as 'Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act' ('the Act') to ascertain the truth of the allegations by collecting documentary evidence and recording statements of possible witnesses including the complainant. The ICC shall then submit the preliminary enquiry report to the Competent Disciplinary Authority along with all the original documents produced during the preliminary enquiry proceedings. In case the allegations do not appear to be in the nature of sexual harassment, the ICC may refer the matter to the Campus Director NIFT Chennai for appropriate action.

Prof. Dr. Anitha Manohar
Director

To

- All Members of the ICC
- Prof. Dr. S. Angammal Santhi, Presiding Officer – With the request to handover all the materials and documents to the new incumbent Prof. Dr. Sunitha Vasam, Presiding officer

Copy to:

- 1) O/o Director – for information please
- 2) Registrar Establishment, NIFT HO
- 3) Chief Vigilance Officer, NIFT HO
- 4) All Faculty / Officers / Staff's, NIFT Chennai
- 5) Dy. Vigilance Officer, NIFT, Chennai
- 6) All Students Notice Boards at NIFT Campus / Girls Hostel



संख्या 14 (62)/निफ्ट/सीएचई/ईएसटीटी/शिकायत। कॉम/08(4)

23.09.2022

कार्यालय जापन

विषय; कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत निफ्ट चेन्नई के कर्मचारियों के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत और दिनांक 25.09.2019 और 28.09.2020 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के दमन में, कैंपस निदेशक निफ्ट चेन्नई ने आंतरिक का पुनर्गठन किया है। निफ्ट चेन्नई की शिकायत समिति (आईसीसी) निम्नानुसार है:

1. प्रो. डॉ. सुनीता वासन, निफ्ट चेन्नई - पीठासीन अधिकारी
2. डॉ. के. मुरुगाजोठी, एसोसिएट प्रोफेसर - सदस्य
3. डॉ. जी. साई सैनगुरई, सह - आचार्य - सदस्य
4. श्री टी. आर. शंकर नारायणन, एसोसिएट प्रोफेसर - सदस्य
5. सुश्री प्रतीपा राज, सहायक प्रोफेसर - सदस्य
6. सुश्री एल.वी. जयश्री, निदेशक, SPASTN - सदस्य

2. आईसीसी का कार्यकाल इस ओएम को जारी करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए होगा।

3. शिकायत प्राप्त होने पर, ICC विशाखा दिशानिर्देशों के साथ-साथ 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम' ('अधिनियम') के अनुसार आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए आवश्यक जांच करेगा। दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करके और शिकायतकर्ता सहित संभावित गवाहों के बयान दर्ज करके। इसके बाद आईसीसी प्रारंभिक जांच कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए गए सभी मूल दस्तावेजों के साथ सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि आरोप यौन उत्पीड़न की प्रकृति के नहीं लगते हैं, तो आईसीसी इस मामले को उचित कार्रवाई के लिए कैंपस निदेशक निफ्ट चेन्नई को भेज सकती है।

सुनीता वासन

प्रो. डॉ. अनीता मनोहर
निदेशक

प्रति:

- आईसीसी के सभी सदस्य
- प्रो. डॉ. एस. अंगम्मल संथी, पीठासीन अधिकारी - नए पदधारी प्रो. डॉ. सुनीता वासन, पीठासीन अधिकारी को सभी सामग्री और दस्तावेज सौंपने के अनुरोध के साथ

को कॉपी:

- 1) ओ/ओ निदेशक - कृपया जानकारी के लिए
- 2) रजिस्ट्रार स्थापना, निफ्ट मुख्यालय
- 3) मुख्य सतर्कता अधिकारी, निफ्ट मुख्यालय
- 4) सभी संकाय / अधिकारी / कर्मचारी, निफ्ट चेन्नई
- 5) उप. सतर्कता अधिकारी, निफ्ट, चेन्नई
- 6) निफ्ट परिसर / गर्ल्स हॉस्टल में सभी छात्र नोटिस बोर्ड